न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 221/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/669

उनवान

1. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी भेरूलाल जी जाति खटीक, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकला तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०) ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती देऊबाई पत्नी सखा जी जाति बलाई (मेघवाल) उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
2. श्रीमती कनीबाई पत्नी चेना जी जाति बलाई. उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
3. श्रीमती कंवरी पत्नी चुना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
4. श्रीमती केसरबाई पत्नी उंकार जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
5. श्री गणेश पिता उंकार जी जाति बलाई, उम्र–नाबालिग जरिये सरंक्षक माता केसरबाई पत्नी उंकार जी, जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
6. श्री किशनलाल पिता हमेरा जी जाति बलाई, उम्र–नाबालिग जरिये सरंक्षक माता मांगीबाई पत्नी हमेरा जी, जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
7. श्री दयाराम पिता चुना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
8. श्री पप्पुलाल पिता उंकार जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
9. श्रीमती प्रेमी पुत्री उंकार जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
10. श्री पिन्टु पुत्र चेना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
11. श्री फता पिता भगा जी जाति बलाई उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकला तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
12. श्रीमती भमरीबाई पुत्री चुना जी जाति बलाई उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
13. श्री भेरूलाल पिता चुना जी जाति बलाई उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
14. श्री भमरीबाई पिता चुना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
15. श्री भंवरलाल पिता किशना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
16. श्रीमती मांगीबाई पत्नी हमेरा जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
17. श्रीमती मोती पिता किशना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
18. श्री मोवनी पत्री उंकार जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

19. श्री रतनलाल पुत्र उंकार जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
20. श्री वेणीराम पिता हमेरा जी जाति बलाई, जरिये संरक्षक माता मांगीबाई पत्नी हमेरा जी, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
21. श्री शंकर पिता किशना जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
22. श्रीमती सुशीला पुत्री हमेरा जी जाति बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
23. श्री हजारी पिता उंकार जी जाति बलाई जरिये संरक्षक माता गांगीबाई पत्नी हमेरा जी उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज)
24. श्री काना पिता भीमा जी जाति गाडरी उम्र–वयस्क, निवासी–पलानाकलां तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
25. श्री पटवारी पटवार हल्का पलानाकलां तहसील घासा जिला– उदयपुर (राज०)
26. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 19.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां तहसील घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 3148 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की उत्तरी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थाई रूप से सीमाकंन कराया जावें एवं विपक्षी सख्या 1 से लगायत 24 को इस बात के लिये पांबद किया जावें की व मुझ प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का कब्जा पाया जाता है तो मुझे सिपुर्द करवाया जावें व वे मुझ प्रार्थीया की स्वामित्व की कृषि भूमि में कोई दखलन्दाजी नही करें तथा मुझे मेरी भूमि का शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें, ताईद में मुझ प्रार्थीया का शपथ पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 25, 26 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपेराकार तहसीलदार द्वारा

जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 7, 10 से 17, 19 से 21, 23, 24 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 3 फौत हो जाने से इनके विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 8, 9, 18, 22 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने से इनके विरूद्ध भी कार्यवाही ड्रोप की गई। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम पर सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 897 पर दर्ज आराजी नम्बर 3148 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत कब्जा दिलाये जाने का कोई प्रावधान है। केवल मात्र प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। सीमा संबंधी विवाद नही हो इसलिये प्रार्थीया को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : **आदेश** : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 897 पर दर्ज आराजी नम्बर 3148 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर चारो दिशाओं में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीया, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीया, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगडी किये जाने का दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। पत्थरगड़ी करने के पश्चात उभय पक्षो का कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी पक्ष मौके पर बाहुबल से कब्जा लेने का प्रयास नही करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested